# न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल केम्प भोपाल

निगरानी प्रकरण क्रमांक ............................
निग — 1337 - PBR - 16

अवध बिल्डर्स एण्ड डेवपलर्स द्वारा
प्रोपराइटर श्री हरीश गंगारामानी
आयु वयस्क आत्मज स्व.
श्री उधवदास गंगारामानी,
आफिस होटल तुलसी न्यू
सब्जी मण्डी रोड भोपाल ------- आवेदक

विरूद्ध

(1) विनोद कुशवाह आयु वयस्क
आत्मज स्व. श्री पूरन सिंह कुशवाह
निवासी-1345, शंकराचार्य नगर
रेल्वे फाटक के पास, भोपाल

(2) श्री सचिन अग्रवाल आयु वयस्क
आत्मज श्री ज्ञानचंद अग्रवाल निवासी-
एच 04, क्रास रोड सिटी सेंटर
इब्राहिमपुरा भोपाल ------- अनावेदकगण

## निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता

अनावेदकगण के द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय बैरागढ़ वृत भोपाल के प्रकरण क्रमांक 7/अपील/2014-15 (विनोद कुशवाह विरूद्ध अवध बिल्डर्स व एक अन्य) मे पारित आदेश दिनांक 05/03/2016 से व्यथित होकर वर्तमान निगरानी निम्नलिखित ठोस एवं वैधानिक आधारों पर समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर



अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक निगरानी 1337–पीबीआर/2016** **जिला भोपाल**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 03–05–2016 | आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकक की ओर से संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि आवेदकगण द्वारा इस आधार पर कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध किया गया है कि व्यवहार न्यायालय में विकय पत्र शून्य घोषित कराने के संबंध में व्यवहार वाद लंबित है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि मात्र व्यवहार वाद लंबित होने से राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित की जायेगी और आवेदकगण की ओर से जो न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये है वह सभी इस संबंध में है कि सिविल वाद लंबित रहने पर नामान्तरण की कार्यवाही नहीं की जायेगी । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथमदृष्टया उचित एवं वैधानिक कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br><br>अध्यक्ष | |